उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड, देहरादून

सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) (E&M/Civil) एवं अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) (E&M/Civil) के पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में आवेदकों हेतु महत्वपूर्ण सूचना

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड में सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) (E&M/Civil) एवं अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) (E&M/Civil) के पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक 26.2.2009 को प्रकाशित विज्ञापन एवं दिनांक 19.3.2009 तथा दिनांक 25.6.2009 को प्रकाशित शुद्विपत्रों के प्रत्युत्तर में निर्धारित अन्तिम तिथि तक पूर्व में आवेदन करने वाले आवेदकों को एक अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए निर्देशित किया जाता है कि:-

1. जिन आवेदकों द्वारा अपने आवेदन पत्र पर फोटोग्राफ न चिपकाया गया हो परन्तु आवेदित पद हेतु आवेदक अन्य समस्त वांछित अर्हताओं एवं शर्तों को पूर्ण करते हों
2. अवर अभियन्ता पद हेतु आवेदन पत्र के सम्बन्धित कॉलम में उत्तराखण्ड राज्य के किसी सेवायोजन कार्यालय में वैध पंजीकरण का अपूर्ण विवरण इंगित किया गया हो तथा आवेदन पत्र के साथ वैध पंजीकरण का प्रमाण पत्र संलग्न न किया गया हो
3. किसी आरक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी होने की दशा में नियमानुसार आयु में शिथिलता हेतु आवेदन पत्र के सम्बन्धित कॉलम में उस श्रेणी को इंगित किया गया हो परन्तु सम्बन्धित श्रेणी के अभ्यर्थी होने का प्रमाण पत्र संलग्न न किया गया हो

ऐसे अभ्यर्थी (जो भी लागू हो):-

1. अपना फोटोग्राफ (फोटोग्राफ के पीछे अभ्यर्थी के स्पष्ट हस्ताक्षर सहित)
2. उत्तराखण्ड राज्य के सेवायोजन कार्यालय में वैध पंजीकरण के प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि जिसके सम्बन्ध में आवेदन पत्र में अपूर्ण विवरण दिया गया है तथा जो सम्बन्धित अभ्यर्थी के आवेदन करने की तिथि अथवा उससे पूर्व निर्गत किया गया हो
3. नियमानुसार आयु में शिथिलता हेतु किसी आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी होने के प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि

पूर्व में किये गये अपने आवेदन पत्र की छायाप्रति के साथ दिनांक 4.8.2009 को अपरान्ह 2.00 बजे तक उपमहाप्रबन्धक (मानव संसाधन), उपाकालि, ऊर्जा भवन, कांवली, देहरादून के कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

दिनांक 4.8.2009 अपरान्ह 2.00 बजे के उपरान्त प्राप्त किसी भी प्रमाण पत्र/प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा तथा ऐसे आवेदकों की अभ्यर्थिता निरस्त समझी जायेगी।